

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 2965 / 12-1.

दिनांक, गोपेश्वर, जनवरी 05/12 /2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।

द्वारा:-

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय:-

जनपद चमोली में धुर्मा-कुण्डी मोटर मार्ग के किमी 0.02 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.275 है० वन भूमि का हस्तान्तरण।

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून का पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/०६/१११/२०१९/एफ०सी०/१२१२ दिनांक ०३.०९.२०१९

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में उप प्रबन्धक, एन०पी०सी०सी०, पी०आई०यू०, नन्दप्रयाग ने अपने पत्र सं० ०४/UKZ/PMGSY/2020 दिनांक ०१.०२.२०२० से आपत्ति का निराकरण कर सूचना निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है:-

1.	It is seen that the proposal is for diversion of 3.275 ha. And rest for muck dumping but in many documents area of forest land submitted for diversion is mentioned as 2.7 ha.	The document is uploaded after making suitable correction.
2.	Land schedule submitted is not countersigned by DFO.	Land schedule, issued by the Forest department is signed by DFO
3.	Area mentioned in CA scheme is 5.40 ha. Instead of 6.55 ha.	The document is uploaded after making suitable correction.
4.	CA site name and area is not mentioned in CA suitability certificate.	The document is uploaded after making suitable correction.
5.	As per tree enumeration list 190 trees are of Banjout of 223. State govt. May explore some other alignment to reduce the no. of trees. It is also not mentioned whether the tree calculation is done on 7m to 9m and what is the actual no. of trees to be cut further, the no. Of trees in 0-10 dia class is not submitted.	This point is to be replied from CF office level. A joint visit of the site was done with Forest department on dated 21.01.2020 where it was observed that the trees to be cut is minimum in the above proposed alignment of the motor road. The tree calculation is done in 9 meter and the actual no of trees to be cut is 223 nos. Out of which 190 nos are banj trees. There is no any tree in 0-10 dia class. Relevant documents are uploaded after making suitable correction.
6.	Name of CA area mentioned online is kundi but in CA scheme and CA site suitability is in mokhmella	The document is uploaded after making suitable correction.
7.	Comments of DFO are incomplete against para 6 in part II. State government may provide comments of DFO against 'Brief note on vulnerability of the forest area to erosion' i.e para 6, part I	The correction has been made para 6 in part II.
8.	State government may submit original copy of the revised documents in view of above points	The hard copies of the above points are submitted in original.

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

भवदीय,

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 2965/ 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उप प्रबन्धक, एन०पी०सी०सी०, पी०आई०यू०, नन्दप्रयाग को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक सं०. 04/UKZ/PMGSY/2020.

Date: 1.02.2020

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग

विषय: जनपद चमोली में धुर्मा-कुण्डी मोटर मार्ग के कि. मी. 2 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.275 हे० वन भूमि का हस्तांतरण

संदर्भ :8 बी/यू.पी.सी/06/111/2019/एफ.सी./1212 dated 03/09/2019

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्तावपर पायी गई इंगित आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।

Pointwise replies of EDS dated 03.09.2019 for the proposal no. FP/UK/ROAD/38079/2019

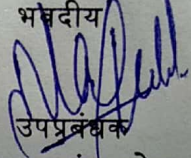
S.No	EDS	REPLY
1.	It is seen that the proposal is for diversion of 3.275 ha. And rest for muck dumping but in many documents area of forest land submitted for diversion is mentioned as 2.7 ha.	The document is uploaded after making suitable correction.
2.	Land schedule submitted is not countersigned by DFO.	Land schedule, issued by the Forest department is signed by DFO
3.	Area mentioned in CA scheme is 5.40 ha. Instead of 6.55 ha.	The document is uploaded after making suitable correction.
4.	CA site name and area is not mentioned in CA suitability certificate.	The document is uploaded after making suitable correction.
5.	As per tree enumeration list 190 trees are of Banjout of 223. State govn. May explore some other alignment to reduce the no. of trees. It is also not mentioned whether the tree calculation is done on 7m to 9m and what is the actual no. of trees to be cut further, the no. Of trees in 0-10 dia class is not submitted.	This point is to be replied from CF office level. A joint visit of the site was done with Forest department on dated 21.01.2020 where it was observed that the trees to be cut is minimum in the above proposed alignment of the motor road. The tree calculation is done in 9 meter and the actual no of trees to be cut is 223 nos. Out of which 190 nos are banj trees. there is no any tree in 0-10 dia class. Relevant documents are uploaded after making suitable correction.



Zonal Office : Uttarakhand Zone, 98-Nehru Colony, Dehradun 248001 (UK). Telephone : 0135-2675725, E-mail : npccnwz@gmail.com
Corporate Office : Plot No. 148, Sector-44, Gurugram-122 003, Haryana. Ph.: 0124-2385223, EPABX No. - 0124-4888160-65 Tele/Fax : 0124-2385223
Registered Office : Raja House, 30-31, Nehru Place, New Delhi-110 019, Ph.: 011-26484842, 011-26416190, Fax: 011-26468699
Website : www.npcc.gov.in CIN No. U45202DL 1957GOI002752, ISO 9001:2015

6.	Name of CA area mentioned online is kundi but in CA scheme and CA site suitability is in mokhmalla	The document is uploaded after making suitable correction.
7.	Comments of DFO are incomplete against para 6 in part II. State government may provide comments of DFO against 'Brief note on vulnerability of the forest area to erosion' i.e para 6, part I	This point is to be replied from DFO office.
8.	State government may submit original copy of the revised documents in view of above points	The hard copies of the above points are submitted in original.

संलग्न: यथोपरि !

भोवदीय

उपप्रबंधक
उत्तराखंड जोन
एन. पी.सी.सी.

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

मावकलन वावत:- जनपद चमोली के अन्तर्गत विकासखण्ड घाट के धुर्माकुण्डी से मोख मल्ला (लम्बाई 5.00 किमी०) के निर्माण हेत

2- वृक्षारोपण स्थल का नाम :- मोख मल्ला (सिविल भूमि)

3- क्षेत्रफल :- परियोजना का क्षेत्रफल $\times 2 = (3.275 \times 2) = 6.55$ है०

4- रोपित किये जाने वाले कुल पौधों की संख्या (कुल क्षेत्रफल $\times 2000$) = 13100 पौधे

5- रोपित की जाने वाली प्रजातियाँ :- बाँज, काफल, पदम, अखरोट, आदि

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०) प्रति	योग
1	2	3	4	5	6
(1)	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य :-				
1.	सर्वे एवं सीमांकन	6.55	है०	115.00	753.25
2.	स्थल सफाई कार्य	6.55	है०	3730.00	24431.50
3.	दीवालबन्दी कार्य / फेंसिंग (150मी०प्र० है० = 81 घ० मी० @477/- घ० मी० 1800x0.45x1.20	6.55	है०	38637.00	253072.35
4.	गड़ढा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)रेंखांकन चूना सहित	13100.00	गड़ढे	7.95	104145.00
5.	डी०ए०पी० खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गड़ढा	327.50	किग्रा०	12.50	4093.75
6.	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	13100.00	पौधे	6.20	81220.00
7.	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 है०) के आधार मानते				
	1- वानस्पतिक चैकडेम 15x6725 = 100875.00	6.550	है०	59607.00	390425.85
	2- स्टोन चैक डेम 40x6725 = 269000.00				
	3- वाटर हरवेस्टिंग टैंक (3x2.50x10) 30x7540 = 226200.00				
	योग = 596075.00				
9.	निरीक्षण बटिया बनाना	6.550	है०	915.00	5993.25
	योग - प्रथम चरण :-				864134.95
(2)	द्वितीय वृक्षा रोपण कार्य				
1	सूखी घास व ज्वलनशील पदार्थ हटाना	6.550	है०	5000.00	32750.00
2	गड़ढा भरान कार्य डी०ए०पी० मिलाने सहित	13100	गड़ढे	1.42	18602.00
3	डी०ए०पी० मिलाने सहित व कय	13100	पौध	1.42	18602.00
4	पौध डुलान कार्य	13100	पौधे	9.00	117900.00
5	पौध रोपण कार्य	13100	पौधे	2.77	36287.00
6	पौधों की प्रथम निराई -गुडाई मलचिंग कार्य	13100	पौधे	1.89	24759.00
7	पौधों की द्वितीय निराई-गुडाई एवं मलचिंग कार्य	13100	पौधे	1.63	21353.00
8	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	13100	पौधे	1.80	23580.00
9	वाचर (चौकीदार प्रथम वर्ष रोपण वर्ष) 7 माह	6.550	है०	685	31407.25
10	साईन बोर्ड आदि कय	6.550	ल०स०	3500	22925.00
11	संरक्षा दिवाल/घेरबाड के बारह 4.00 मी० पट्टी साफ करना	6.550	ल०स०	3000	19650.00
	योग द्वितीय चरण :-				367815.25
(3)	तृतीय वर्ष 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (वीटिंग अप) प्रति है०				
1.	पौध की लागत	1310	पौधे	8.00	10480.00

	2	3	4	5	6
	पौध ढलान कार्य	1310	पौधे	9.00	11790.00
3.	पून: गड़ढा खोदना एवं रोपण कार्य	1310	पौधे	4.40	5764.00
4.	गड़ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	1310	पौधे	1.95	2554.50
5.	पौधों की भीतकालीन मलचिंग	1310	पौधे	1.63	2135.30
6.	वनीकरण चौकीदार (12 माह) 1 वर्ष	6.550	है0	685.00	53841.00
7.	अग्नि सम्बंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000.00	13100.00
	योग तृतीय चरण :-				99664.80
(4)	चतुर्थ वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	6.550	है0	685	53841.00
2.	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000	13100.00
	योग चतुर्थ चरण :-				66941.00
(5)	पंचम वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	6.550	है0	685.00	53841.00
2.	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000	13100.00
	योग पंचम चरण :-				66941.00
(6)	सष्ठम वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	6.550	है0	685.00	53841.00
2.	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000.00	13100.00
	योग सष्ठम चरण :-				66941.00
(7)	सप्तम वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	6.550	है0	685.00	53841.00
2.	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000.00	13100.00
	योग सप्तम चरण :-				66941.00
(8)	अष्ठम वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	6.550	है0	685.00	53841.00
2.	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000.00	13100.00
	योग अष्ठम चरण :-				66941.00
(9)	नवम् वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	6.550	है0	685.00	53841.00
2.	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000.00	39300.00
	योग नवम् चरण :-				93141.00
(10)	दशम् वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	6.550	है0	685.00	53841.00
2.	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000.00	13100.00
	योग दसम् चरण :-				66941.00
	सम्पूर्ण योग:-				1826402.00

Checked For Rs 1826402/-

D/M 11
Forest

प्रभागीय वनाधिकारी
बड़ीनाथ वन प्रभाग गौपेक्षर
(चमोली)

प्रारूप-23.1

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में धुर्मा-कुण्डी मोटर मार्ग के कि०मी० 02 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मोख मल्ला

तहसील घाट, जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

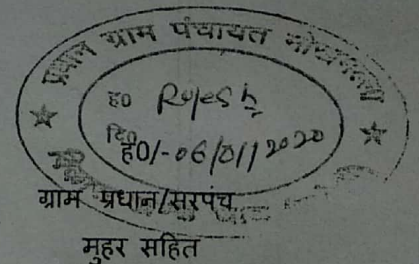
उत्तराखंड में जनपद चमोली के अन्तर्गत धुर्मा-कुण्डी मोटर मार्ग के कि०मी० 02 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.000 हे० आरक्षित वन भूमि 3.275 हे० सिविल सोयम भूमि 0.00 हे०, वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 3.275 हे० वन भूमि का लो० नि० वि० विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मोख मल्ला द्वारा दिनांक 03/06/17 की संपन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मोख मल्ला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत... मोख मल्ला
विकास अण्ड... 05/01/2020



नोट:-यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध कराया जायेगा।

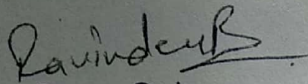
शोचन सिंह नेगी
बी.डी.सी.
असम सदस्य क्षेत्र पंचायत संगठन
विकासखण्ड घाट (चमोली)

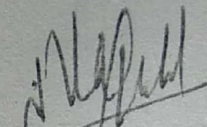
मोख मल्ला

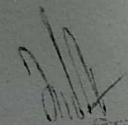
परियोजना का नाम - जनपद चमोली में धुर्मा-कुण्डी मोटर मार्ग के कि. मी. 2 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.275 हे० वन भूमि का लो. नि. वि. हस्तांतरण

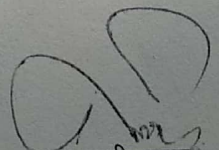
क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

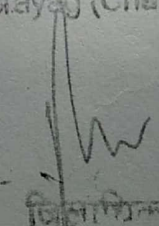
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग वन भूमि हस्तांतरण के लिए ग्राम कुण्डी रा० उ० नि० क्षेत्र० मोख तहसील घाट जिला चमोली में खसरा नंबर 1595 रकबा 5.035 हे०, खसरा नंबर 1600 रकबा .421 हे०, खसरा नंबर 1601 रकबा .133 हे०, खसरा नंबर 1612 रकबा .678 हे०, खसरा नंबर 1621 रकबा .284 हे० कुल रकबा 6.551 हे० जो कि श्रेणी 10(4) भीटा में अंकित है, के अंतर्गत सिविल भूमि वृक्षारोपण हेतु चयनित कि गयी है वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


कनिष्ठा अभियंता


पी० आई० यू०
Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Works
Karanprayag (Chamoli)


राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व विभाग
पटवारी क्षेत्र चमोली


तहसीलदार
घाट (चमोली)


उप जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी

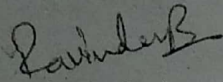

वन क्षेत्र अधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर


प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

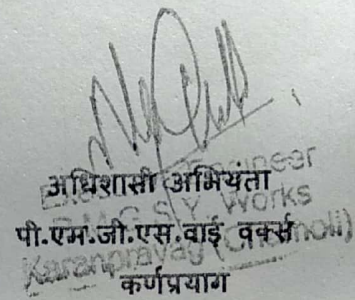
परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में धुर्मा-कुण्डी मोटर मार्ग के कि०मी० 02 से मोख मल्ला तक
मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.275 हे० वन भूमि का लो. नि. वि. को हस्तांतरण।

दुगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की उपरोक्त परियोजना हेतु 3.275 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में उसके दुगुने अवनत वन क्षेत्र अर्थात् 6.55 हे० में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उसकी मांग के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी।



कनिष्ठ अभियंता

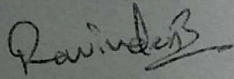

अधिसारी अभियंता
P. M. J. S. Vaid (J. S. V. Works)
Karan Prayag (J. S. V. Works)
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम - जनपद चमोली में धुर्मा-कुण्डी मोटर मार्ग के कि. मी. 2 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.275 हे० वन भूमि का लो. नि. वि. हस्तांतरण

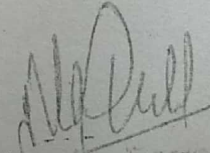
परियोजना की लंबाई चौड़ाई का प्रमाण पत्र

प्रस्तावित सिविल भूमि / वन पंचायती भूमि की लंबाई 3000 मीटर चौड़ाई 9 मीटर कुल 27000 वर्ग मीटर अर्थात् 2.7 हेक्टेयर है एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.575 हेक्टेयर है ।

भूमि का प्रकार	लम्बाई	चौड़ाई	हेक्टेयर
नाप भूमि	2000 मीटर	9 मीटर	1.8 हेक्टेयर
सिविल भूमि	3000 मीटर	9 मीटर	2.7 हेक्टेयर
वन पंचायत भूमि	-	-	-
मक डिस्पोजल हेतु	-	-	.575 हेक्टेयर
कुल भूमि			5.075 हेक्टेयर



कनिष्ठा अभियंता



अधिशाली अभियंता
पी.एम.जी.एस.वाई. वर्क्स
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम— बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम— जनपद चमोली में धुर्मा -कुण्डी मोटर मार्ग के कि.मी.
2 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.275
हे. वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण।

वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक 26.10.76 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

क्र० सं०	ब्लाक	प्रजाति 0-10	व्यास वर्ग									योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	घाट बख		02	77	23	03	01	01	02	01	NIL	190
											कुल	190

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है। क्योंकि मोटर मार्ग हेतु अन्य वैकल्पिक समरेखण उपयुक्त नहीं पाया गया। मार्ग दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्र की जनता के लिए अति महत्वपूर्ण है। अतः मार्ग हेतु 190.00 बांज वृक्षों के पातन की संस्तुति की जाती है। उक्त वृक्षों का पातन वन विकास निगम के द्वारा वन विभाग के शैड्यूल रेट पर नियमानुसार देय बिक्री कर अदा करने पर किया जायेगा। नोट - उपरोक्त में से 10-20 व्यास के 03 वृक्ष तथा 20-30 व्यास के 05 वृक्ष नाप खेतों में हैं। वृक्षों की गणना 9 मी० चौड़ाई में की गई है।

अमान
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.

सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

अधिशोषी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रयाग गोपेश्वर

प्रमाणित वन क्षेत्राधिकारी
पुष्पागोविन्द वन क्षेत्राधिकारी
वन विभाग, नन्दप्रयाग

वन संरक्षक

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

उपयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी आवश्यकता के
 में जो सन्तरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें ३३३५० (तीन) नाप भूमि से, (तीन) सिविल भूमि से, ३३३५० (तीन)
 वन पंचायत से, ३३३५० (तीन) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस सन्तरेखन/स्थल के ध्यान में कुल है ०, नाप भूमि ३३३५०
 है ३ सिविल भूमि (२७०० है ० ५२५०) वन पंचायत भूमि ३३३५० है ० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल (३७५०)
 है ० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी।

राजस्व उप निरीक्षक
राजस्थान सरकार, जयपुर

जिला - चण्डीली इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें (11.1) (मी०) नाप भूमि से 2.450 (मी०) सिविल भूमि से 2.450 (मी०) पंचायत से 2.450 (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 11.622 हे० नाप भूमि (2.880 हे०) सिविल भूमि से 2.450 हे० आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी। जिसमें से 2.450 हे०

M= 3-455:80 सिविल भूमि.....हो वन पंचायत भूमि.....हो आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुछ
राजस्व संप निरोधक रस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर / चुने गये स्थल पर लगभगवृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परिवर्जन
१०७३८५२ नमूनों से प्रभावित होंगे, जिनमें से ..४९६ बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे ।

अन्य आवश्यक विवरण

हस्ताक्षर
(वन विभाग)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(राजस्व विभाग)
राजस्व रूप निरीक्षक
राजस्व विभाग
तहसील.....
जिला-चम्पाली

हस्ताक्षर
(अन्य दावेदार)
प्रतिनिधि

समय 1.7.15.01

जानकारी के अनुसार हमें कुछी मारकम-का प्रमाणित
में उक्त विलेखों की गणना सूची (वृक्षों की गणना 9मी० चौड़ाई में की गई) 150

माना 2000, 1000 मि० वि० को प्रमाणित, ज-पठ-संकोक, ज-पठ-
प्रमाणित विलेखों की गणना विलेखों की गणना विलेखों की गणना

विलेख का नाम	विलेख का प्रकार	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	कुल	विलेख का प्रकार
मार्ग	मार्ग	02	77	23	03	01	01	01	02	01	-	190	मार्ग
मार्ग	मार्ग	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01	मार्ग
मार्ग	मार्ग	-	02	04	02	01	-	-	-	-	-	09	मार्ग
मार्ग	मार्ग	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01	मार्ग
मार्ग	मार्ग	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	02	मार्ग
मार्ग	मार्ग	-	06	01	-	-	-	-	-	-	-	07	मार्ग
मार्ग	मार्ग	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	01	मार्ग
मार्ग	मार्ग	-	-	-	06	01	-	01	-	-	-	08	मार्ग
मार्ग	मार्ग	-	01	02	-	-	-	-	-	-	-	03	मार्ग
मार्ग	मार्ग	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01	मार्ग
मार्ग	मार्ग	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01	मार्ग

कुल मार्ग - 223 नक्ष

प्रमाणित विलेखों की गणना विलेखों की गणना (पंजीय)

प्रमाणित विलेखों की गणना विलेखों की गणना (पंजीय)

प्रमाणित विलेखों की गणना विलेखों की गणना (पंजीय)